Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

ADITYA BIRLA CAPITAL

MUTUAL FUNDS

Aditya Birla Sun Life AMC Limited(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mills, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: L65991MH1994PLC080811

Risk factors associated with Creation of Segregated Portfolio:

Different types of securities in which the scheme would invest carry different levels and types of risk as given in the Scheme Information Document of the scheme. In addition to the same, unitholders are requested to also note the following risks with respect to Segregated Portfolio:

Liquidity Risk: A lower level of liquidity affecting an individual security (ies) or an entire market may have an adverse bearing on the value of the Segregated Scheme's assets. This may more importantly affect the ability to sell particular securities with minimal impact cost as and when necessary to meet requirement of liquidity or to sell securities in response to triggers such as a specific economic/corporate event. Trading volumes, settlement periods and transfer procedures may restrict the liquidity of a few of the investments. This may impact the NAV of the segregated portfolio and could result into potential loss to the Unit holders.

Credit risk: The scheme's risk may increase or decrease depending upon its investment pattern. E.g. corporate bonds carry a higher amount of risk than Government securities. Further, even among corporate bonds, bonds, which are AA rated, are comparatively riskier than bonds, which are AAA rated. Investment in unrated securities may be riskier compared to investment in rated instruments due to non-availability of third party assessment on the repayment capability of the issuer. As the securities are unrated, an independent opinion of the rating agency on the repayment capability of the issuer will not be available. The issuer of a debenture/ bond or a money market instrument may default on interest payment or even in paying back the principal amount on maturity. Even where no default occurs, the price of a security may go down because the credit rating of an issuer goes down. This may impact the NAV of the segregated portfolio and resultant loss to the Unit holders.

Listing of units: Listing of units of segregated portfolio in recognized stock exchange does not necessarily guarantee their liquidity. There may not be active trading of units in the stock market. Further, trading price of units on the stock market may be significantly lower than the prevailing NAV.

Risk factors associated with investments in Securitised Debt:

Domestic securitised debt assets would be in the nature of Mortgage Backed Securities (MBS) and Asset Backed Securities (ABS) with underlying pool of assets and receivables like Housing Loans, Auto loans and corporate loans. The Securitised debt assets and the underlying asset classes like housing loans, Auto Loans and Corporate loans have the following risk factors.

- **Limited Recourse and Credit Risk:** Certificates issued on investment in securitised debt represent a beneficial interest in the underlying receivables and there is no obligation on the issuer, seller or the originator in that regard. Defaults on the underlying loan can adversely affect the pay outs to the investors (i.e. the Scheme) and thereby, adversely affect the NAV of the Scheme. While it is possible to repossess and sell the underlying asset, various factors can delay or prevent repossession and the price obtained on sale of such assets may be low.
- **Bankruptcy Risk:** If the originator of securitised debt instruments in which the Scheme invests is subject to bankruptcy proceedings and the court in such proceedings concludes that the sale of the assets from originator to the trust was not a 'true sale', then the Scheme could experience losses or delays in the payments due. Normally, care is taken in structuring the securitization transaction so as to minimize the risk of the sale to the trust not being construed as a 'true sale'.
- **Risk of Co-mingling:** Servicers in a securitization transaction normally deposit all payments received from the obligors into a collection account. However, there could be a time gap between collection by a servicer and depositing the same into the collection account. In this interim period, collections from the loan agreements by the servicer may not be segregated from other funds of the servicer. If the servicer fails to remit such funds due to investors, investors in the Scheme may be exposed to a potential loss

Note: All other features of the Scheme except those mentioned above will remain unchanged.

A detailed communication (Letter to Unitholders) is being sent to all the existing unitholders of the Scheme (i.e. whose names appear in the register of unitholders as on close of business hours on **Friday, June 20, 2025)** informing about the proposed changes. Unitholders letter is also available on our website https://mutualfund.adityabirlacapital.com

1. The Board of Directors of Aditya Birla Sun Life AMC Limited ("ABSLAMC"), Investment Manager for the Fund and the Board of Directors of Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited, Trustees to the Fund have approved the above proposed changes. Further, the Securities Exchange Board of India (SEBI), vide email dated May 29, 2025, has communicated its no-objection for the proposed changes.
2. In line with regulatory requirements, for scheme where a change in fundamental attributes is being proposed, we are offering an exit window ("Exit Option") to the Unit holders of 30 days from **Thursday, June 26, 2025 to Friday, July 25, 2025** (both days inclusive) ("Exit Option Period"). These changes will be effective from **Monday, July 28, 2025 ("Effective Date").** During the Exit Option Period, unit holders not consenting to the change may either switch to any other scheme of the Fund or redeem their investments at applicable Net Asset Value (NAV) without payment of exit load subject to provisions of applicable cut-off time as stated in the SID of the scheme. All transaction requests received on or after **Friday, July 25, 2025 (after 3:00 p.m.)** will be subject to applicable exit load (if any), as may be applicable to the respective Scheme.
3. Redemption / Switch requests, if any, may be lodged at any of the Official Points of Acceptance (OPAT) of the Fund.
4. The above information is also available on the website of the Fund viz., https://mutualfund.adityabirlacapital.com.
5. Unit holders who have pledged / encumbered their units will not have the option to exit unless they submit a letter of release of their pledges / encumbrances prior to submitting their redemption / switch requests.
6. Investors who have registered for Systematic Investment Plan (SIP) in the Scheme and who do not wish to continue their future investments must apply for cancellation of their SIP registrations.
7. The redemption warrant/cheque will be mailed or the amount of redemption will be credited to the unitholders bank account (as registered in the records of the Registrar) within 3 (three) working days from the date of receipt of redemption request.
8. **It may be noted that the offer to exit is purely optional and not compulsory. If the unit holder has no objection to the aforesaid change, no action is required to be taken and it would be deemed that such Unit holder has consented to the aforesaid change.**
9. Unit holders who do not opt for redemption on or before **Friday, July 25, 2025 (upto 3:00 p.m.)** shall be deemed to have consented to the changes specified herein above and shall continue to hold units in the Scheme of the Fund. In case the unit holders disagree with the aforesaid changes, they may redeem all or part of the units in the Scheme of the Fund by exercising the Exit Option, without exit load within the Exit Option Period by submitting a redemption request online or through a physical application form at any OPAT /Investor Service Center (ISC) of ABSLAMC or to the depository participant (DP) (in case of units held in Demat mode). Unit holders can also submit the normal redemption form for this purpose.
10. The option to redeem the Units without exit load during the Exit Option Period can be exercised in the following manner:
    a. Unit holders can submit redemption requests online or via duly completed physical application form at any OPAT/ISC of the ABSLAMC or to the DP (in case of units held in Demat mode).
    b. The redemption/ switch requests shall be processed at applicable NAV as per time stamping provisions contained in the SID of the Scheme.
    c. Unit holders should ensure that any changes in address or pay-out bank details required by them, are updated in records of the Fund at least 10 (Ten) working days before exercising the Exit Option. Unit holders holding Units in dematerialized form may approach their DP for such changes.
11. The expenses related to the proposed changes and other consequential changes as outlined above will not be charged to the unit holders of the Scheme.
12. **Tax Consequences:**
    Redemption / switch-out of units from the Scheme may entail capital gain/loss in the hands of the unitholder. For unit holders who redeem their investments during the Exit Option Period, the tax consequences as set forth in the Statement of Additional Information of the Fund and SID of the Scheme would be applicable. In case of NRI investors, TDS shall be deducted from the redemption proceeds in accordance with the prevailing income tax laws. In view of the individual nature of tax consequences, Unitholders are advised to consult their professional tax advisors for tax advice.

To locate your nearest ISC we request you to visit https://mutualfund.adityabirlacapital.com.

The updated SID & KIM of the Scheme containing the revised provisions shall be made available with our ISCs and also displayed on the website https://mutualfund.adityabirlacapital.com immediately after completion of duration of exit option.

All other features and terms & conditions of the Scheme shall remain unchanged.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SID/ KIM issued for the Scheme, read with the addenda issued thereunder.

For **Aditya Birla Sun Life AMC Limited**
(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Date : June 20, 2025
Place : Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
A Tata Power and Delhi Government Joint Venture
TATA POWER-DDL
Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-110 009
CIN No. U40109DL2001PLC111526, Website: tatapower-ddl.com

NOTICE INVITING TENDERS June 14, 2025

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No. Work Description	**Estimated Cost/EMD (Rs.)**	**Availability of Bid Document**	**Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids**
TPDDL/ENGG/ENQ/200001834/25-26 Third Party Recovery Services at Tata Power-DDL for 03 years	10.35 Crs/ 1,70,000	23.06.2025	14.07.2025;1500 Hrs/ 14.07.2025;1530 Hrs

CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION

Tender Enquiry No. Work Description	**Previously Published Date**	**Revised Due Date & Time of Bid Submission/ Date & time of opening of bids**
TPDDL/ENGG/ENQ/200001818/25-26 Purchase of Storage	27.05.2025	24.06.2025 at 1500 Hrs/ 24.06.2025 at 1530 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001819/25-26 SITC of Wi-Fi Access Points	27.05.2025	04.07.2025 at 1500 Hrs/ 04.07.2025 at 1530 Hrs

Complete tender and corrigendum document is available on our website **www.tatapower-ddl.com** →Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents

---

SBI **STATE BANK OF INDIA**

Local Head Office, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302005

PUBLIC NOTICE

EMPANELMENT OF STOCK & RECEIVABLE AUDITORS

State Bank of India, Local Head Office, Jaipur invites applications in the prescribed format from Proprietorship Firms, Partnership Firms, Companies, Limited Liability Partnership of Chartered Accountants/ Cost Accountants registered with Institute of Chartered Accountants of India/ Cost Accountant of India for empanelment of Stock & Receivable Auditor for conducting Stock and Receivable Audit for the Bank and willing to get them empaneled for the period 01.08.2025 to 31.07.2027. **Eligibility criteria, general guidelines, Bio-data format/ application form, List of SME Intensive Branches etc. is placed on our Bank's website bank.sbi under "Empanelment of vendors" section in "Procurement news".**

Those willing to get empaneled and having Branches/Offices in Rajasthan State shall submit their applications in prescribed format with relevant enclosures/documents etc. to the nearest Regional Business Office (RBO)/ Administrative Office (AO)/ SME Intensive Branch **on or before 07-07-2025. The Stock & Receivable Auditors already in the Bank's panel have to apply afresh.**

The bank reserves the right to amend/modify any terms and conditions of empanelment and withdraw the advertisement without any notice.

Date : 21.06.2025 **Authorized Signatory**

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821
Registered Office: A-71, Sector-136, Noida, Uttar Pradesh - 201301
Tel.: +91 0120 7158766
Website: www.mirza.co.in; E-mail:compliance@mirzaindia.com

NOTICE
(For attention of Equity Shareholders of the Company)
Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs and amendments made there to. As per Section 124(6) of the Companies Act 2013, read with the aforesaid Rules, all shares in respect of which dividends declared by the Company has not been claimed or remained unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to IEPF Authority.

In accordance with the various requirements as set out under the aforesaid Rules, the Company has communicated individually to the Shareholders, who have not claimed their dividends for Financial Year 2017-18 and onwards and consequently whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2025-26, through speed post through letter dated June 11, 2025 for claiming such dividends on or before October 1, 2025.

The Company has uploaded the details of such Shareholders and Shares due for transfer to IEPF Authority on its website www.mirza.co.in. Such Shareholders are requested to verify the details of the Unclaimed dividend and shares liable to be transferred to IEPF Authority. The Shareholders who have not claimed their dividends for the Financial Year 2017-18 and onwards are requested to claim their dividends expeditiously. In case the shareholders fails to claim the above unclaimed dividend on or before October 1, 2025, the Company will proceed to transfer the underlying Equity Shares of the Company, registered in the name of the Shareholder to the credit of the IEPF Authority on its due date.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure under the aforesaid Rules, as amended from time to time.

The Concerned Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would be issuing Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Shares Certificate(s) held by Shareholder(s) for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per the aforesaid Rules and upon such issue, the Original Share Certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Further, the concerned Shareholders who are holding shares in a dematerialized form may note that as per the aforesaid Rules, the Company would be issuing instruction(s) to concerned Shareholder's Depository Participants for the purpose of transfer of their shares to IEPF Authority.

The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of Duplicate Share Certificate(s) by the Company and issuing of instruction(s) to Depository Participants for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority, pursuant to the aforesaid Rules.

In case of any queries, please contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e., Kfin Technologies Limited at Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032, Phone: 040- 67162222 or 18003454001 (toll free) or e-mail: einward.ris@kfintech.com.

For **Mirza International Limited**
Sd/-
(Harshita Nagar)
Company Secretary & Compliance Officer

Date : June 20, 2025
Place : Noida

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
E-Auction Sale Notice
SHREE BANKEY BEHARI EXPORTS LIMITED (In Liquidation)
Liquidator: Mrs. Pooja Bahry (IP Regn. No: IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063)
Email: liquidation.shreebankeybehari@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

Date and Time of Auction: 22 July 2025 (Tuesday) from 12:00 pm to 2:00 pm
Last Date for submission of EMD : 19 July 2025

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi, had ordered the commencement of liquidation of M/S Shree Bankey Behari Exports Limited vide order dated 13th May 2025 under Section 33 of the Code.
Bids/ Offers are hereby invited from interested persons/participants to be submitted online through e-auction platform https://baanknet.com , for the sale of the following Assets of the Corporate Debtor on **"As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis" and "Without recourse basis"**, as per following details:-

Schedule

Lot No.	Description of the Assets	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit ("EMD") Rs	Bid Increment Amount Rs	e-Auction Date & Time (with unlimited extension of 5 min each)	Last Date of Submission EMD
1.	Land and building located at Industrial Plot No. 2253-2257, Sector 38, Phase II, HSIIDC Industrial Estate, Food Park, Rai, Sonipat, Haryana, measuring 20,250 sq meters	72,09,23,527	5,00,00,000 (Rs 5 Crores)	10,00,000 (Rs. Ten Lakhs)	22 July 2025 from 12:00 pm to 2:00 pm (unlimited extension of 5 minutes each)	19 July 2025

Terms and Condition of the E-auction are as under-

1. E-Auction will be conducted on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"** through e-auction platform **https://baanknet.com**
2. **Prospective bidders need to register on Baanknet auction platform.** (**https://baanknet.com, https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**) and should carefully **submit the requisite documents, including a declaration of eligibility under Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code through the electronic auction platform. (Asset ID: 2274)**
3. Kindly note that the **prospective bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code** to the extent applicable and that **if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited.**
4. Prospective bidders shall deposit the Earnest Money Deposit (EMD) through the Baanknet auction platform. It is also specified that if the bidder is found ineligible under any criteria, EMD shall be forfeited as per IBBI, vide Circular No. IBBI/LIQ/84/2025 dated 28th March, 2025.
5. **Kindly note that EMD payment must be made through the BAANKNET portal by adding funds to the eWallet and clicking "Participate" for the respective auction.** Name of Eligible Bidders will be identified and conveyed by Liquidator to participate in online e-auction on the portal www.baanknet.com . The interested bidder should create their User ID & Password in the auction portal and deposit their EMD amount in the E-Wallet of the portal. For any query regarding the eauction portal, reach out to BAANKNET (Bank Asset Auction Network), Email ID- support.baanknet@psballiance.com , Mobile No: +91 8291220220, 9820878255, 9990605075, uday.jadhav@psballiance.com, swani.sharma@psballiance.com ,
6. All the auction process documents are uploaded on the Baanknet Portal and the participants must download the same and submit all the documents on the portal.
7. The Bidders, prior to submitting their Bid, should make their independent enquiries regarding the Company, Assets, incidental costs, if any, at their own expense and satisfy themselves.
8. The Successful Bidder will be responsible for the applicable stamp duties, legal cost, transfer charges and fees, GST and other taxes related to the sale unit under this E-Auction and for completing the documentation. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the statutory / non- statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property/ asset put on auction. Any statutory and other dues payable and due on property / asset shall be borne by purchaser as per the provisions of applicable law.
9. As per the Paragraph 12 of Schedule I of IBBI (Liquidation Process), Regulations, 2019, on the close of the auction, **the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within 90 days of the date of such demand. Provided that payments made after thirty days shall attract interest at the rate of 12%. Provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within 90 days** (The SCC has decided that the time period for payment of the balance sale consideration (as provided in clause (12) of Para 1 of Schedule I), would not be extended beyond ninety days).
   As per the Schedule I of IBBI (Liquidation Process), Regulations, within three days of declaring the highest bidder, the liquidator shall conduct due diligence and verify the eligibility of the highest bidder. The liquidator shall present the auction results, details of highest bidder, and the due diligence conducted on it to the consultation committee under regulation 31A. The liquidator shall declare the highest bidder as the successful bidder or reject such bid, after consultation with the consultation committee under regulation 31A. **If a bidder is found ineligible, the earnest money deposited by him shall be forfeited.** In case the highest bidder is found ineligible, the liquidator may, in consultation with the consultation committee, declare the next highest bidder as the successful bidder after following the same process as provided under clause (12A) to clause (12E) of the Schedule I of IBBI (Liquidation Process), Regulations.
   On payment of the full amount, the sale shall stand completed, the liquidator shall execute certificate of sale or sale deed to transfer such assets and the assets shall be delivered to him in the manner specified in the terms of sale
10. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the e-auction process and / or not to accept and / or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability.
11. The documents regarding the above assets can be inspected by the prospective bidders with prior appointment, contacting **Mrs Pooja Bahry.: +91 9811071716.**
12. **PLEASE REFER THE COMPLETE E-AUCTION PROCESS DOCUMENT/ E-AUCTION PROCESS MEMORANDUM FOR THE DETAILS/ TERMS AND CONDITIONS OF THE AUCTION.**
13. **Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and Regulations.**

Date: 21 June 2025
Place: Delhi

POOJA BAHRY
Liquidator of SHREE BANKEY BEHARI EXPORTS LIMITED (in Liquidation)
IP Regn. No. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063
AFA No AA3/10063/02/311225/301226 Valid till 31/12/2025
59/27, Prabhat Road, New Rohtak Road, New Delhi-110005. Phone: 9811071716
Email:- liquidation.shreebankeybehari@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

केप के पैमाने पर तो शेयर बाजार बहुत महंगा है

मौजूदा स्तरों पर मूल्यांकन ऐतिहासिक रूप से एक अंक के रिटर्न के अनुरूप

सचिन मामपट्टा
मुंबई, 20 जून

भारत के शेयर सूचकांकों के नौ महीने पहले के सर्वकालिक उच्चस्तर से नीचे रहने के बावजूद शेयर बाजार शायद ही कभी इतना महंगा रहा हो, जितना कि एक विशेष पैमाने पर अब है।

'पूर्वानुमान या भ्रम? शिलर का सीएपीई यानी केप : भारतीय इक्विटी में बाजार और स्टाइल फैक्टर फॉरवर्ड रिटर्न' नामक एक अध्ययन पर आधारित आंकड़ों के अनुसार, बीएसई सेंसेक्स के लिए 10 साल का चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य आय (सीएपीई) अनुपात 35.2 गुना है। यह अध्ययन मूल रूप से जुलाई 2024 में भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के प्रोफेसर जोशी जैकब और सिंगापुर स्थित पारिवारिक कार्यालय, इन्वेस्पार के निदेशक राजन राजू ने किया था।

ये संख्याएं हर महीने अपडेट की जाती हैं। मई 2025 के लिए नवीनतम मूल्यांकन आमतौर पर भविष्य में कम अपेक्षित रिटर्न बताते हैं। पारंपरिक मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात उन मूल्यांकनों पर नजर डालता है जो आमतौर पर तत्कालिक अतीत या निकट भविष्य पर आधारित होते हैं, वहीं केप दीर्घकालिक कारोबारी चक्र को ध्यान में रखता है और मुद्रास्फीति के लिहाज से आय को समायोजित करता है।

इस अनुपात को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री आर जे शिलर के नाम पर शिलर पीई कहा जाता है, जिन्होंने जॉन कैंपबेल के साथ इस पैमाने पर काम किया है। शिलर ने 2000 में डॉट-कॉम बुलबुले के फटने से ठीक पहले यह संकेत देने के लिए इस पैमाने का इस्तेमाल किया था कि इक्विटी का मूल्यांकन ज्यादा है।

राजन राजू ने लिखा कि केप अनुपात अभी 90 पर्सेंटाइल से ऊपर है और यह 2003 से अब तक के आंकड़ों के अनुसार 90 फीसदी से अधिक है। उन्होंने कहा, मौजूदा स्तरों पर मूल्यांकन ऐतिहासिक रूप से पांच साल की होल्डिंग अवधि के लिए एक अंक के आगे के अपेक्षित सालाना रिटर्न के अनुरूप हैं। अगर दस साल की लंबी होल्डिंग अवधि हो तो इसे कम किया जा सकता है, जो औसतन पांच साल की होल्डिंग अवधि के सापेक्ष उच्च रिटर्न के अनुरूप रहा है।

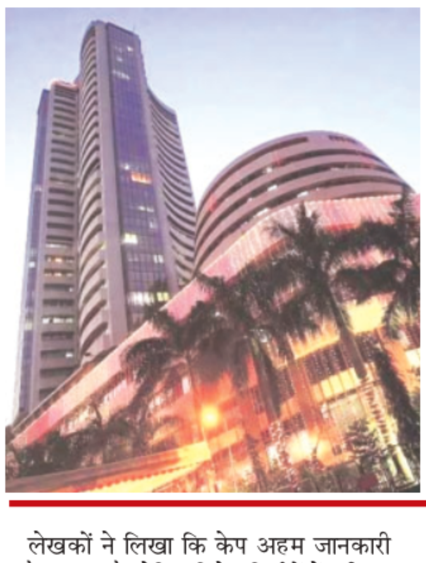

केप अनुपात

- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री आर जे शिलर ने 2000 में डॉट-कॉम बुलबुले के फटने से ठीक पहले यह संकेत देने के लिए इस पैमाने का इस्तेमाल किया था कि शेयरों का मूल्यांकन ज्यादा है
- बीएसई सेंसेक्स के लिए 10 साल का चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य आय केप अनुपात 35.2 गुना है
- पारंपरिक मूल्य- आय (पी/ई) अनुपात उन मूल्यांकनों पर नजर डालता है जो आमतौर पर तत्कालिक अतीत या निकट भविष्य पर आधारित होते हैं

लेखकों ने लिखा कि केप अहम जानकारी मुहैया करता है, लेकिन निवेश निर्णयों में यही तय करने का एकमात्र पैमाना नहीं होना चाहिए। जोशी जैकब ने लिखा कि भारतीय फर्मों की बदलती प्रकृति, जहां प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप की ज्यादा सूचीबद्धता हो रही है, से मूल्यांकन बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, भारतीय फर्मों की उत्पादकता में कुछ हद तक सुधार हुआ है। जैकब के अनुसार, फिर भी केप अनुपात और भविष्य में अपेक्षित रिटर्न के बीच व्यापक विपरीत संबंध बरकरार रहेगा। अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में ऐसा देखा गया है।

बीएसई सेंसेक्स ने सितंबर 2024 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 85,978 अंक को छुआ था। शुक्रवार को यह 82,408 अंक पर बंद हुआ।

टाटा म्युचुअल फंड के वरिष्ठ फंड मैनेजर चंद्रप्रकाश पडियार कहते हैं कि आय वृद्धि की गुंजाइश अभी भी है, जिससे महंगा मूल्यांकन कम हो सकता है। 2008-09 के शीर्ष समय के दौरान कंपनियों का लाभ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 6.8 फीसदी था। यह अभी करीब 5.3 फीसदी है। अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण इस चक्र में शिखर ऊंचा हो सकता है, जिससे सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कारोबार ज्यादा हो सकता है। साथ ही कंपनियों को पहले की तुलना में बिक्री के हर रुपये पर अधिक लाभ मिल सकता है।

पडियार ने कहा, 2008-09 की तुलना में आज कंपनियों का आय से कहीं अधिक मुनाफा मार्जिन (400 आधार अंक तक) है। समय के साथ गिरावट के एक वर्ष में आय में सुधार के साथ मूल्यांकन कहीं बेहतर दिख सकते हैं। पडियार ने कहा कि अल्पावधि में रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन तीन से पांच साल की अवधि में ज्यादा उचित लाभ मिल सकता है।

निफ्टी-500 इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स के मुकाबले ऊंचे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि छोटी कंपनियों का मूल्यांकन उनकी आय की तुलना में ज्यादा है।

लेखकों ने बाजार की गतिशीलता को दर्शाते हुए कहा कि व्यापक बाजार में महत्त्वपूर्ण निवेश ने निफ्टी 500 सूचकांक और बीएसई सेंसेक्स के बीच अंतर बढ़ाने में योगदान दिया होगा। ब्लूचिप की तुलना में छोटी कंपनियों के अपेक्षाकृत कम फ्लोट और सीमित व्यापारिक गतिविधियों (यानी 'तरलता प्रीमियम') ने मूल्यांकन अंतर को बढ़ाने में योगदान दिया हो सकता है।

अध्ययन के अनुसार केप वैल्यू और ड्रॉडाउन के बीच सीधा संबंध है। ड्रॉडाउन शिखर से अधिकतम गिरावट है। केप जितना ऊंचा होगा, गिरावट या संभावित नुकसान उतना ही अधिक होगा। अध्ययन के अनुसार मूल्य और कम अस्थिरता वाले शेयर गिरावट के दौरान ज्यादा सुदृढ़ होते हैं।

महंगे भाव व नए शेयर बाजार का मुख्य जोखिम

7 अप्रैल के निचले स्तर से निफ्टी मिडकैप 150 सूचकांक और निफ्टी स्मॉलकैप 250 सूचकांक करीब 17 फीसदी और 18.5 फीसदी चढ़े हैं

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 20 जून

जेफरीज में इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस्टोफर वुड ने निवेशकों को हाल में भेजे अपने नोट 'ग्रीड एंड फियर' में भारतीय शेयर बाजारों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि महंगे भाव (खासकर मिडकैप शेयरों के) और आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों (आईपीओ) के माध्यम से शेयरों की नई आपूर्ति भारतीय बाजार के लिए मुख्य जोखिम हैं।

वुड ने आगाह किया कि बाजार में ताजा तेजी (हाल के निचले स्तरों से) की वजह से खासकर मिडकैप में मूल्यांकन फिर से समस्या बन गया है। 7 अप्रैल के निचले स्तर से 14.1 प्रतिशत बढ़ने के बाद अब निफ्टी इंडेक्स 12 महीने की आगामी आय के 22.2 गुना पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 7 अप्रैल के निचले स्तर से 23.7 प्रतिशत की बढ़त के बाद 12 महीने की आगामी आय के 27.1 गुना पर है।

वुड ने लिखा है, 'यही वजह है कि कंपनियां भी ऐसे मूल्यांकन का फायदा उठाने के लिए फिर से इक्विटी डाल रही हैं। पिछले महीने 7.2 अरब डॉलर के बराबर इक्विटी डालकर रकम जुटाई गई और जून में अब तक 6 अरब डॉलर इक्विटी से जुटाए जा चुके हैं। यह आपूर्ति ही बाजार के लिए मुख्य खतरा है। पिछले साल सितंबर के अंत में शुरू हुई गिरावट से पहले इक्विटी आपूर्ति लगभग 7 अरब डॉलर प्रति महीने चल रही थी।'

7 अप्रैल के स्तर से जहां निफ्टी-50 सूचकांक अब तक करीब 12 फीसदी चढ़ा है, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में ज्यादा तेजी आई है। एसीई इक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान निफ्टी मिडकैप 150 सूचकांक और निफ्टी स्मॉलकैप 250 सूचकांक करीब 17 फीसदी और 18.5 फीसदी चढ़े हैं।

इस बीच, प्राथमिक बाजार की गतिविधियां आने वाले सप्ताह में फिर से बढ़ने वाली हैं। खबरों के अनुसार कम से कम चार कंपनियां आईपीओ के जरिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही हैं। इनमें कल्पतरु, एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज और ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स जैसे कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं।

रिपोर्टों के अनुसार भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक की इकाई एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी 25 जून को अपना 1.4 अरब डॉलर का आईपीओ ला रही है। यह अक्टूबर 2024 में ह्युंडै मोटर इंडिया आईपीओ के बाद सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। ह्युंडै मोटर इंडिया ने आईपीओ के जरिये 27,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे।

पूंजीगत खर्च थीम

क्रिस्टोफर वुड ने लिखा है कि 1 फरवरी को बजट घोषणा के बाद से भारतीय बाजार का ध्यान निवेश के बजाय उपभोग पर केंद्रित हो गया है। उसे मौद्रिक नरमी से भी मदद मिली है और कंज्यूमर फाइनैंस क्षेत्र के शेयरों में तेजी आई है। उनका मानना है कि प्रॉपर्टी बाजार में अभी और तेजी आनी बाकी है जो 5 साल से तेजी पर है।

उनका कहना है, 'जेफरीज की नजर वाले शीर्ष सात डेवलपरों की बिक्री-पूर्व वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 17 फीसदी घटने के बाद वित्त वर्ष 2026 में 22 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। कम उधारी दर (जो अब 8 प्रतिशत है और भारतीय रिजर्व बैंक की नई दर कटौती का लाभ आगे पहुंचाने के बाद जिसके 7.5 प्रतिशत तक गिरने की उम्मीद है) से किफायती और मध्यम आय वर्ग में बिक्री को बढ़ावा मिलने की मदद है।'

पोर्टफोलियो में बदलाव

वुड ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया है, जिसमें लार्सन ऐंड टुब्रो, थर्मेक्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज को हटाया जाएगा और इनकी जगह टीवीएस मोटर, होम फर्स्ट फाइनैंस और मणप्पुरम फाइनैंस में निवेश पर जोर दिया जाएगा।

भारत में मौजूदगी बढ़ा रही हैं वैश्विक ट्रेडिंग फर्में

सिटेडल सिक्योरिटीज और आईएमसी ट्रेडिंग से लेकर मिलेनियम तथा ऑप्टिवर जैसी करीब आधा दर्जन वैश्विक ट्रेडिंग कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। इस वजह से नियुक्तियों में तेजी आ रही है और एक्सचेंजों को टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार के वॉल्यूम में विश्व में दिग्गज है भारत

कंपनियों की नियुक्ति योजनाएं इन उम्मीदों के बीच बन रही हैं कि बड़े घरेलू उपभोक्ता और निवेशक आधार से भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियों के कारण पैदा हुई वैश्विक उथल-पुथल से बचने में मदद मिलेगी। फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि अप्रैल में 7.3 अरब के वैश्विक इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 60 फीसदी भारत का रहा है। भारत के नियामकों का कहना है कि मार्च 2018 से अनुबंधों का कारोबार 48 गुना बढ़ गया है।

कुछ कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी देशों की फर्मों के लिए यह अवसर बहुत बड़ा है जिसे खासकर अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट द्वारा पिछले साल अपनी इंडिया ट्रेडिंग स्ट्रैटजी से 2.34 अरब डॉलर कमाने के बाद अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वैश्विक हाई-स्पीड ट्रेडर आईएमसी ट्रेडिंग के जोसलिन डेंटां ने कहा, 'हमने ट्रेडिंग के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा बढ़ती देखी है, जहां आप एक ही अवसर के लिए अधिक कंपनियां होती हैं। नौकरी बाजार में भी ऐसा ही है।'

कंपनी की भारतीय इकाई के प्रबंध निदेशक डेंटां ने कहा कि फर्म की योजना 2026 के अंत तक अपनी टीम का आकार 50 फीसदी बढ़ाकर 150 से अधिक करने की है। विदेशी निवेशक अप्रैल और मई में भारतीय शेयरों के खरीदार बन गए और उन्होंने 2.8 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की।

प्रख्यात निवेशक केनेथ ग्रिफिन की फर्म सिटेडल सिक्योरिटीज को लगभग 10 लोगों की एक छोटी टीम चलाती है, जिसमें भारत के लिए हाल में नियुक्त किए गए मुख्य परिचालन अधिकारी के साथ-साथ ट्रेडिंग के कंट्री हेड भी शामिल हैं। फर्म की योजनाओं से अवगत एक सूत्र ने बताया कि कंपनी प्रतिभाओं की तलाश कर रही है।

जानकार सूत्र ने कहा कि हेज फंड मिलेनियम दुबई और सिंगापुर के माध्यम से अपनी इंडिया डेस्क का विस्तार कर रहा है। मिलेनियम ने इस पर प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया। नीदरलैंड की ऑप्टीवर ने वर्ष 2025 के अंत तक अपनी टीम का आकार मौजूदा 70 से बढ़ाकर 100 करने की योजना बनाई है।

नौकरियों के लिए पब्लिक पोस्टिंग से पता चला है कि एम्सटर्डम की ट्रेडिंग फर्म दा विंची और लंदन की क्यूब रिसर्च ऐंड टेक्नोलॉजीज भी भारत में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग पदों के लिए भर्ती कर रही हैं। *रॉयटर्स*

सेबी ने जारी किया एआई व एमएल के इस्तेमाल पर नियमों का मसौदा

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 जून

बाजार नियामक सेबी ने बाजार प्रतिभागियों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग्स ऐप्लिकेशन व टूल्स की निगरानी व गवर्नेंस के लिए दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया है। ये दिशानिर्देश जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने के इरादे से लाए जा रहे हैं।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों में इसके गवर्नेंस, निवेशक सुरक्षा, खुलासा, परीक्षण की रूपरेखा, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह तथा डेटा गोपनीयता व साइबर सुरक्षा उपायों सहित कई प्रमुख मानक शामिल हैं। अभी स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और म्युचुअल फंडों द्वारा निगरानी, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ऑर्डर निष्पादन, केवाईसी प्रोसेसिंग और ग्राहक सहायता जैसे विभिन्न मकसदों के लिए एआई और एमएल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि बाजार प्रतिभागियों को एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, ऐसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सलाहकार सेवाओं जैसे परिचालन में एआई और एमएल उपकरणों के अपने उपयोग का खुलासा करना चाहिए। खुलासे में जोखिम, सीमाएं, सटीकता परिणाम, शुल्क और डेटा गुणवत्ता के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

एआई और एमएल का उपयोग करने वाले बाजार प्रतिभागियों को इन उपकरणों के प्रदर्शन और नियंत्रण की देखरेख के लिए तकनीकी विशेषज्ञता वाले वरिष्ठ प्रबंधन को नियुक्त करना होगा। उन्हें मॉडलों की मान्यता, दस्तावेजीकरण और व्याख्यात्मकता भी बनाए रखनी होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें समय-समय पर सटीकता के परिणाम और ऑडिट निष्कर्षों को सेबी के साथ साझा करना होगा।

सेबी ने डेटा स्वामित्व, एक्सेस नियंत्रण और एन्क्रिप्शन समेत डेटा गवर्नेंस मानदंडों को परिभाषित करने के महत्व पर जोर दिया है। नियामक ने यह भी कहा है कि एआई और एमएल उपकरणों को ग्राहकों के किसी भी समूह के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करना चाहिए।

सेबी ने इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने और एआई और एमएल के इस्तेमाल से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्यसमूह का गठन किया है। नियामक ने कारोबारी परिचालन के लिए एक 'लाइट फ्रेमवर्क' का सुझाव दिया है, जो ग्राहकों को सीधे प्रभावित नहीं करता है। सेबी ने प्रस्तावों पर 11 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

गैर-सूचीबद्ध एनएसई शेयर की खरीद में धोखाधड़ी का आरोप

वित्तीय सेवा फर्म ऑटम कैपिटल ने सुप्रीमस ऐंजल व अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एनएसई के शेयर की खरीद में उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। 7 जून की अपनी शिकायत में ऑटम ने आरोप लगाया है कि एनएसई के करीब 5 लाख शेयरों की खरीद में उनके साथ धोखाधड़ी हुई, जिसकी कीमत 115 करोड़ रुपये है। सूत्रों ने कहा कि सुप्रीमस ऐंजल ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि इस लेनदेन का कोई सबूत नहीं है। ऑटम ने इस बारे में जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया, वहीं सुप्रीमस ने टिप्पणी से इनकार कर दिया। इस बीच, असूचीबद्ध बाजार में एनएसई के शेयरों की मांग में इजाफा देखा गया है और सार्वजनिक शेयरधारिता हाल में 1 लाख के पार चली गई है। *बीएस*

टीपीजी ने बेची साई लाइफ की 10 फीसदी हिस्सेदारी

प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी एशिया ने शुक्रवार को साई लाइफ साइंसेज की 10 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी। पीई प्रमुख ने 722 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2.08 करोड़ शेयर बेचकर 1,505 करोड़ रुपये जुटाए। खरीदारों में निप्पॉन इंडिया एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ और इनवेस्को एमएफ शामिल थे।

साई लाइफ के शेयर 7.4 फीसदी की बढ़त के साथ 783 रुपये पर बंद हुए। मार्च 2025 तिमाही के अंत में टीपीजी एशिया-7 एसएफ के पास कंपनी की 24.73 फीसदी हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी की बिक्री साई लाइफ के शेयरों पर आईपीओ लॉक अप समाप्त होने के एक दिन बाद हुई है। *बीएस*

क्यूआईपी के बाद 4 फीसदी चढ़ा केन्स

केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया के शेयर शुक्रवार को करीब 4 फीसदी बढ़कर 5,820 रुपये पर पहुंच गए। यह कंपनी द्वारा 1,600 करोड़ रुपये के पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) की पेशकश के एक दिन बाद हुआ। केन्स क्यूआईपी में 28.5 लाख नए शेयर जारी कर रही है। क्यूआईपी के लिए फ्लोर प्राइस 5,623 रुपये है। क्यूआईपी में जारी किए गए नए शेयरों का कारोबार 27 जून से शुरू होगा। मोतीलाल ओसवाल, ऐक्सिस कैपिटल और नोमूरा निवेश बैंकर हैं, जो शेयर बिक्री का काम संभाल रहे हैं। *बीएस*

एरिसइन्फ्रा के आईपीओ को मिली 2.6 गुना बोली

एरिसइन्फ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ को शुक्रवार को 2.6 गुना बोली मिली, जो कि इश्यू का अंतिम दिन था। संस्थागत निवेशक की श्रेणी में 1.42 गुना, अमीर निवेशकों की श्रेणी में 3.14 गुना और खुदरा निवेशक की श्रेणी में 5.59 गुना आवेदन मिले। कंपनी ने अपने आईपीओ की कीमत दायरा 210 रुपये से 222 रुपये प्रति शेयर तय किया है। 499 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से नया इश्यू है। कंपनी निर्माण सामग्री के कारोबार में है और निर्माण सामग्री के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। *बीएस*

संभव स्टील के आईपीओ का कीमत दायरा 77 से 82 रुपये

संभव स्टील ट्यूब्स ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का कीमत दायरा 77 से 82 रुपये तय किया है। 540 करोड़ रुपये के आईपीओ में 440 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 100 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश शामिल है। न्यूनतम 182 इक्विटी शेयरों और 182 इक्विटी शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकती हैं। एंकर निवेशक की बोली मंगलवार को होगी। आईपीओ बुधवार को खुलेगा और शुक्रवार को बंद होगा। *बीएस*

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत संपत्ति की बिक्री
ई-नीलामी बिक्री सूचना
श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापक: श्रीमती पूजा बाहरी (आईपी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063)
ईमेल: liquidation.shreebankeybehari@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

नीलामी की तिथि और समय: मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 19 जुलाई 2025

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने संहिता की धारा 33 के तहत 13 मई, 2025 के आदेश के माध्यम से मैसर्स श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के परिसमापन को शुरू करने का आदेश दिया था।
इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिभागियों से निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिसमापक के कब्जे वाली निम्नलिखित परिसम्पत्तियों को 'जैसा है जहां है आधार', 'जो है यही है आधार, 'जो कुछ भी है वहीं है आधार' और ' आश्रय रहित आधार' पर विक्रय के लिए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं:-

अनुसूची

लॉट नं.	आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रू.	बोली वृद्धि राशि रू.	ई-नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	भूमि और भवन जो औद्योगिक प्लॉट नंबर 2253-2257, सेक्टर 38, फेज II, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फूड पार्क, राई, सोनीपत, हरियाणा में स्थित है। क्षेत्रफल 20,250 वर्गमीटर।	72,09,23,527	5,00,00,000 (रू. 5 करोड़)	10,00,000 (रू. दस लाख)	22 जुलाई 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)	19 जुलाई 2025

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं :
1. ई-नीलामी 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. संभावित बोलीदाताओं को बांकनेट नीलामी प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com, https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home) पर पंजीकरण करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित अपेक्षित दस्तावेज सावधानीपूर्वक जमा करने होंगे। (Asset ID: 2274)
3. कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाताओं को यह वचन देना होगा कि वे संहिता की धारा 29ए के तहत किसी भी तरह की अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं और यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाते हैं, तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. संभावित बोलीदाताओं को बांकनेट नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बयाना राशि जमा करनी होगी। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि यदि बोलीदाता किसी भी मानदंड के तहत अयोग्य पाया जाता है, तो आईबीबीआई के परिपत्र संख्या आईबीबीआई/एलआईक्यू/84/2025 दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
5. कृपया ध्यान दें कि ईएमडी (EMD) भुगतान **BAANKNET** पोर्टल के माध्यम से ई-वॉलेट में राशि जोड़कर और संबंधित नीलामी के लिए "**Participate**" बटन पर क्लिक करके किया जाना आवश्यक है। पात्र बोलीदाताओं के नाम परिसमापक द्वारा पहचाने जाएंगे और **www.baanknet.com** पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सूचित किए जाएंगे। रुचि रखने वाले बोलीदाता को नीलामी पोर्टल पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा तथा अपना ईएमडी अमाउंट पोर्टल के ई-वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी पोर्टल के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, **BAANKNET** (बैंक एसेट नीलामी नेटवर्क) से संपर्क करें, ईमेल आईडी- support.baanknet@psballiance.com, मोबाइल नंबर: +91 8291220220, 9820878255, 9990605075, uday.jadhav@psballiance.com, swani.sharma@psballiance.com
6. नीलामी प्रक्रिया के सभी दस्तावेज बांकनेट पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और प्रतिभागियों को उन्हें डाउनलोड करना होगा तथा सभी दस्तावेज पोर्टल पर जमा करने होंगे।
7. बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले कंपनी, संपत्तियों, आकस्मिक लागतों, यदि कोई हो, के बारे में अपने स्वयं के खर्च पर स्वतंत्र जांच करनी चाहिए तथा स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।
8. सफल बोलीदाता इस ई-नीलामी के तहत बिक्री इकाई से संबंधित लागू स्टाम्प शुल्क, कानूनी लागत, हस्तांतरण शुल्क और फीस, जीएसटी और अन्य करों के लिए और दस्तावेज़ी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। सफल बोलीदाता को नीलामी में रखी गई संपत्ति/आस्ति के संबंध में लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, फीस आदि का वहन करना होगा। संपत्ति/आस्ति पर देय और देय कोई भी वैधानिक और अन्य बकाया लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
9. आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया), विनियम, 2019 की अनुसूची I के पैराग्राफ 12 के अनुसार, नीलामी के समापन पर, उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तारीख से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बशर्ते कि तीस दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12% की दर से ब्याज लगेगा। आगे यह भी प्रावधान है कि यदि 90 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी {एससीसी ने निर्णय लिया है कि शेष बिक्री प्रतिफल के भुगतान की समय अवधि (जैसा कि अनुसूची I के पैरा 1 के खंड (12) में प्रदान किया गया है), नब्बे दिनों से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों के अनुसूची-I के अनुसार, सर्वोच्च बोलीदाता की घोषणा के तीन दिनों के भीतर, परिसमापक को ड्यू डिलिजेंस (यथायोग्य जांच) करनी होगी और सर्वोच्च बोलीदाता की पात्रता की पुष्टि करनी होगी। परिसमापक को नीलामी परिणाम, सर्वोच्च बोलीदाता का विवरण, और उस पर की गई ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट विनियम 31ए के तहत गठित परामर्श समिति को प्रस्तुत करनी होगी। परिसमापक, परामर्श समिति से विचार-विमर्श के बाद, सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है या उसकी बोली को अस्वीकार भी कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता अपात्र पाया जाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि (**EMD**) जब्त कर ली जाएगी। यदि सर्वोच्च बोलीदाता अपात्र पाया जाता है, तो परिसमापक, परामर्श समिति से विचार-विमर्श कर, दूसरे सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है, बशर्ते कि उसी प्रक्रिया का पालन किया गया हो जैसा कि अनुसूची-I के धारा (12ए) से (12ई) में उल्लेखित है।
पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर विक्रय प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, और परिसमापक द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र या विक्रय विलेख (**Sale Deed**) निष्पादित कर संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा। संपत्तियों का सुपुर्दन विक्रय की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निमंत्रण केवल संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है और इससे परिसमापक या कंपनी पर विक्रय को निष्पादित करने की कोई विधिक बाध्यता नहीं बनती। परिसमापक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ई-नीलामी प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द या संशोधित कर सकता है, तथा किसी भी इच्छुक पक्ष/संभावित निवेशक/बोलीदाता को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी उत्तरदायित्व के अस्वीकार या अयोग्य घोषित कर सकता है।
11. उपरोक्त संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूर्व नियुक्ति के साथ श्रीमती पूजा बाहरी +91 9811071716 से संपर्क करके किया जा सकता है।
12. नीलामी के विवरण/नियमों और शर्तों के लिए कृपया संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज/ई-नीलामी प्रक्रिया ज्ञापन देखें।
13. बिक्री दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 और विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।

दिनांक: 21 जून, 2025
स्थान: दिल्ली

पूजा बाहरी
श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063
AFA No AA3/10063/02/311225/301226 31/12/2025 तक वैध
59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली- 110005, फोन: 9811071716
ईमेल: liquidation.shreebankeybehari@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L19129UP1979PLC004821
Registered Office: A-71, Sector-136, Noida, Uttar Pradesh - 201301
Tel.: +91 0120 7158766
Website: www.mirza.co.in; E-mail:compliance@mirzaindia.com

NOTICE
(For attention of Equity Shareholders of the Company)
Transfer of Equity Shares of the Company to the
Demat Account of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs and amendments made there to. As per Section 124(6) of the Companies Act 2013, read with the aforesaid Rules, all shares in respect of which dividends declared by the Company has not been claimed or remained unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to IEPF Authority.

In accordance with the various requirements as set out under the aforesaid Rules, the Company has communicated individually to the Shareholders, who have not claimed their dividends for Financial Year 2017-18 and onwards and consequently whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2025-26, through speed post through letter dated June 11, 2025 for claiming such dividends on or before October 1, 2025.

The Company has uploaded the details of such Shareholders and Shares due for transfer to IEPF Authority on its website www.mirza.co.in. Such Shareholders are requested to verify the details of the Unclaimed dividend and shares liable to be transferred to IEPF Authority. The Shareholders who have not claimed their dividends for the Financial Year 2017-18 and onwards are requested to claim their dividends expeditiously. In case the shareholders fails to claim the above unclaimed dividend on or before October 1, 2025, the Company will proceed to transfer the underlying Equity Shares of the Company, registered in the name of the Shareholder to the credit of the IEPF Authority on its due date.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure under the aforesaid Rules, as amended from time to time.

The Concerned Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would be issuing Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Shares Certificate(s) held by Shareholder(s) for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per the aforesaid Rules and upon such issue, the Original Share Certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Further, the concerned Shareholders who are holding shares in a dematerialized form may note that as per the aforesaid Rules, the Company would be issuing instruction(s) to concerned Shareholder's Depository Participants for the purpose of transfer of their shares to IEPF Authority.

The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of Duplicate Share Certificate(s) by the Company and issuing of instruction(s) to Depository Participants for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority, pursuant to the aforesaid Rules.

In case of any queries, please contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e., Kfin Technologies Limited at Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032, Phone: 040- 67162222 or 18003454001 (toll free) or e-mail: einward.ris@kfintech.com.

For **Mirza International Limited**
Sd/-
(Harshita Nagar)
Company Secretary & Compliance Officer

Date : June 20, 2025
Place : Noida